भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 463

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर देने के लिए

एच 1-बी वीजा

463. **श्री मनोज कोटकः**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अमरीका हेतु एच 1-बी वीजा की 23 प्रतिशत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका सरकार से एच 1-बी वीजा की अस्वीकृति का कारण पूछा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) के सार्वजनिक तौर पर नीवनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 168,600 प्रारंभिक या नई एच 1-बी याचिकाओं पर वित्त वर्ष 2019 में कार्रवाई पूरी की गई, जिनमें से 35,633 अर्थात लगभग 21.1% याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हालांकि, वर्ष 2015 और 2018 के बीच कुल एच 1-बी वीजा में भारतीय नागरिकों का अंश लगभग 70% पर स्थिर रहा।

हाल ही में एच 1-बी कार्यक्रम में कुछ प्रशासनिक बदलावों के कारण एच 1-बी वीजा आवेदन प्रक्रिया विश्व भर में नियोक्ताओं के लिए और अधिक जटिल हो गई हैं, जिससे आवेदनकर्ताओं के लिए प्रलेखन संबंधित आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इन परिवर्तनों ने सामान्यत: एच 1-बी आवेदनों की कार्रवाई को प्रभावित किया है, और उन जांच का स्तर बढ़ गया है।

(ड़) भारत सरकार ने सभी हितधारकों से गहनतापूर्वक विचार-विमर्श किया है और एच 1-बी कार्यक्रम से संबंधितों सहित भारतीय व्यवसायिकों के संचलन से संबंधित मामलों पर अमरीकी प्रशासन और कांग्रेस से वार्ता की है। यह मुझे विदेश मंत्री द्वारा जून 2019 में नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री और सितंबर/अक्तूबर, 2019 और

दिसंबर 2019 में वाशिंगटन डी.सी में अमेरिकी वार्ताकारों के समक्ष उठाए गए थे। हमारी बातचीत में, हमने इस बात पर जोर दिया है कि यह एक पारस्परिक-लाभकारी भागीदारी रही है, जिसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

***